



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-3009-औसं-17/पाकालि/2022-11(4)ए०एस०/०6

दिनांक: 05 अगस्त, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों, जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-medical पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/2009, दि० 09.12.2002 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद के पत्र संख्या-10195-मुअमुक्षे/14एम-9 दिनांक 29.06.2022 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला पंजीकरण प्राधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल पंजीकरण संख्या-0913500012 दिनांक 25.05.2022, जो एक वर्ष हेतु वैध है। के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों पर एतद्वारा सिद्ध हॉस्पिटल, (जे०पी०एस० लाइफ साइन्सेस प्रा०लि०,एल०एल०पी०) हरथला इंडस्ट्रियल स्टेट, कांठ रोड, मुरादाबाद मो० नं०-91 5912971111, 91 6396852220 को दिनांक 24.05.2023 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन०जी०-2/एस०ई०बी०(चार)29-एन०जी०-2/78, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश सं०-3330-औसं/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 24.05.2023 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
4. चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी :-

(क) रोगी का नाम/पदनाम/वैतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।

(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।

(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।

(घ) कार्मिक का वैतनमान।

(ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।

(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

5. अस्पताल प्रबन्धन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह CGHS-2014 की मानक दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

क्रमशः 2/-

6. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन के मद हेतु रु0 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-3009-(1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्योच्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, वाराणसी/पश्चिमाञ्चल,मेरठ/दक्षिणाञ्चल, आगरा एवं केसको, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वॉ तल,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक सिद्ध हॉस्पिटल, (जे0पी0एस0 लाइफ साइन्सेस प्रा0लि0,एल0एल0पी0) हरथला इंडस्ट्रियल स्टेट, काठ रोड, मुरादाबाद।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

आज्ञा से



(लोकेन्द्र सिंह)

कार्मिक अधिकारी